न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र.   / 2013

R 3069-I/13

8-8-13

8-8-13

8-8-13

1. चिरोजी सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह ठाकुर निवासी ग्राम सीतापुर मौजा जोहर तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.)
2. महेन्द्र सिंह पुत्र बाधराज सिंह जाति ठाकुर निवासी जोहा की हवेली मोजा जोहा तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मुंशी सिंह
2. भूरे सिंह पुत्र श्री चरन सिंह
3. ज्ञान सिंह पुत्र श्री मंशी सिंह
4. मोहन सिंह पुत्र श्री जण्डेलसिंह
5. अजमेर सिंह पुत्र श्री जण्डेल सिंह
6. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री मुन्ना सिंह

समस्त जाति ठाकुर निवासीग्राम जोहा की हवेली मौजा जोहा तहसील अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 48/ 11–12/ निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.4.2013 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, ग्राम जोंह में स्थित बीहड भूमि सर्वे कमांक 2389/ 2 रकवा 2.00 हे. म.प्र. शासन के ज्ञाप कं. एफ–4–4–2003/ सात–2–ए दिनांक 25–4–3

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

निग0प्र.क्रं. 3069-एक/13 जिला मुरैना

6.10.15

यह निगरानी आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 48/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.4.2013 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा–50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 8–8–2013 को प्रस्तुत की गई है।

2/ अवधि विधान की धारा–5 पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि आयुक्त के आदेश दिनांक 30.4.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन 13.6.13 को दिया गया जो दिनांक 2.7.13 को प्राप्त हुई। प्रतिलिपि प्राप्ति समय 28 दिन कम करने पर 11 दिन का विलम्ब हुआ, जबकि स्थानीय अभिभाषक ने 90 दिन की समयसीमा बताई थी इसलिये संशोधन के भ्रम के कारण विलम्ब हुआ है इसलिये विलम्ब क्षमा किया जावे। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध किया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त के आदेश दिनांक 30.4.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन पर स्थिति यह है कि प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन 13.6.13 देने पर 2.7.13 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई है, जबकि आयुक्त न्यायालय के प्रकरण की तर्क सुने जाने की तिथि 9–4–13 को तर्क प्रस्तुत करने के उपरांत उभय पक्ष व्दारा अंतिम आदेश हेतु नियत दिनांक 30.4.13 नोट की है। अतएव उभय पक्ष को 30.4.13 के आदेश की जानकारी रही है। इस प्रकार 13.6.13 को प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु प्रस्तुत आवेदन एंव प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के दिनांक 2.7.13 के बीच के दिन 20 दिन निर्धारित समय में से कम किये जावेंगे। अंतिम आदेश दिनांक 30.4.13 से निगरानी प्रस्तुत करने के दिनांक

R 3069-I/13 - [illegible]

निग0 प्र.क्रं. 3069-एक/13

8.8.13 तक व्यतीत 99 दिन में से 20 दिन कम करने पर 79 दिवस का विलम्ब होना प्रकरण की स्थिति से परिलक्षित है, अपील/ निगरानी प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि 60 दिवस है इस प्रकार 19 दिवस का विलम्ब होना पाया गया है, जबकि आवेदकगण के अभिभाषक मात्र 11 दिन का विलम्ब होना बता रहे है, जबकि म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 में हेतु 60 दिवस निर्धारित है इस प्रकार 19 दिवस वाद निगरानी प्रस्तुत हुई है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0– धारा 47 तथा म्याद अधिनियम 1963 की धारा –5 – कार्यवाही में पक्षकार अनुपस्थित – काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना – मामले के प्रचलन के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया जाना – विलम्ब माफी के लिये सदभाविक नहीं माना जा सकता।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 – धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्ष को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनिष्ट नहीं किया जा सकता।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु जो आधार बताया गया है कि स्थानीय अभिभाषक ने 90 दिन की समय–सीमा बताकर विलम्ब करवाया है, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि संहिता में हुआ सॅशोधन वर्ष 2011 की जानकारी प्रत्येक अभिभाषक को रहती है, जिसके कारण विलम्ब क्षमा करने हेतु दिया गया तर्क असंगत है।

6/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अवधि–वाह्य प्रस्तुत होना पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापिस किया जाय।

सदस्य